संख्या : 300 /XLI-1/2017–93/2016

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की (हरिद्वार)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून। दिनांक : 23 फरवरी, 2017

विषयः उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या–847/XXVII-I/2016 दिनांक 26.07.2016, शासनादेश संख्या–1391/XXVII(1)/2016 दिनांक 01.12.2016 एवं आपके पत्र संख्या–11411/उ.प्रा.शि.प./बजट आ0/2016–17 दिनांक 14.12.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम अनुपूरक मांग के आय–व्ययक में व्यस्थित धनराशि ₹ 460.00 लाख (₹चार करोड़ साठ लाख मात्र) को निम्नलिखित लेखाशीर्षक/शर्तों, प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		**स्वीकृत धनराशि**
2203–	**तकनीकी शिक्षा**	
800–	**अन्य व्यय**	
03–	**प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद**	
	01–वेतन	2500
	03–महंगाई	3000
	06–अन्य भत्ते	500
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40000
	योगः–	**46000**

(₹ चार करोड़ साठ लाख मात्र)

1. उक्त धनराशि में से मानक मद–16 को अग्रिम के रूप में आहरित किया जायेगा तथा शेष धनराशि को नियमानुसार व्यय हेतु कोषागार से आहरित किया जायेगा एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

क्रमशः....2

2. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016, 26.07.2016 एवं 01.12.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. **सलंग्नक–1** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–314(पी.)/XXVII(3)/2017 दिनांकः 23 फरवरी, 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 300 (1)/XLI(1)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, रूड़की।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।